फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री लोगर | **विपक्षी : राजस्थान राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 22/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 19.03.2021

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम मोडा पिता देवा डांगी गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से नाम सही कराने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत नान्दवेल द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 25.06.2020, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, बैंक पास–बुक प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में मोडा पिता देवा डांगी दर्ज हैं जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम लोगर पिता देवा अंकित है।

प्रकरण में पटवारी हल्का सालेराकलां व नान्दवेल से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी द्वारा मोडा व लोगर को एक ही व्यक्ति होना बताया। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजो मे सही नाम लोगर अंकित है केवल मात्र राजस्व रेकार्ड में मोडा दर्ज हो गया है। वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार बंशीलाल पिता खेमराज डांगी, लालु पिता अमरा डांगी ने शपथ पत्र पेश कर प्रार्थी का नाम लोगर एवं मोडा दोनो ही होना बताया हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जात है कि मौजा नान्दवेल पटवार हल्का नान्दवेल की आराजी परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1963/170, 1964/180, 1967/190, 1968/191, 1970/191, 191 किता 6 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 1992/191, 192 किता 2 रकबा 4 बिस्वा एवं परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 9 से 18 किता 10 रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 179 रकबा 3 बिस्वा (आ.चा.) एवं मौजा सालेराकलां पटवार हल्का सालेराकलां के परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 1992/89 रकबा 4 बीघा भूमि में खातेदार मोडा पिता देवा डांगी के बजाय लोगर उर्फ मोडा पिता देवा डांगी संशोधन किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.05 16:56:48 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली